


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के ज्ञापन क्रमांक-एफ-1(2) एफडी(रूल्स)06 पार्ट-1 जयपुर दिनांक- 11.06.2014 एवं एफ1(2) एफडी (रूल्स)06/पार्ट-1 दिनांक 07.08.14 की अनुपालना निम्नलिखित परिवीक्षाधीन व्याख्याताओं (प्रोबेशनर-ट्रेनी) का उनके चिकित्सा प्रमाण पत्र /निजी कारणों के आधार पर उनके नाम के सामने अंकित अवधि का असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक	पदस्थापन स्थान राउमावि / राबाउमावि	कुल अवकाश अवधि	स्वीकृत अवकाश के दिनों की संख्या
1	गीतांजली व्या. इतिहास	राउमावि मेंघरास-भीलवाड़ा	08.08.2017 से 10.08.2017 19.02.2018 से 24.02.2018 20.03.2018 से 21.03.2018 29.06.2018 30.06.2018 04.09.2018	03 दिवस 06 दिवस 02 दिवस 01 दिवस 01 दिवस 01 दिवस कुल 14 दिवस
2	दुर्गा व्या. इतिहास	राउमावि सफेड बड़ी-नागौर	17.02.2018 से 18.02.2018 04.10.2018 से 05.10.2018 15.10.2018 29.11.2018 से 30.11.2018	02 दिवस 02 दिवस 01 दिवस 02 दिवस कुल 07 दिवस
3	मोनिका हरितवाल व्या. वाणिज्य	राउमावि विसाऊ-झुंझुनूं	15.02.2019 से 22.02.2019	08 दिवस कुल 08 दिवस
4	रमेश चन्द मीना व्या. इतिहास	राउमावि सामरिया-झालावाड़	23.04.2018 से 07.05.2018	15 दिवस कुल 15 दिवस

नोट:-संबंधित सस्थाप्रधान द्वारा उक्त कार्मिकों की सेवा पुस्तिका में असाधारण अवकाश का इन्द्राज किया जावे। स्वीकृत असाधारण अवकाश का यदि वेतन आहरित किया गया है तो उसका नियमानुसार समायोजन करें।



(हिमांशु गुप्ता) 24/01
IAS

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/सी-2/इति-वाणि/स्थायी/अ.अवकाश/18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा
- 2 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय(माध्यमिक)
- 3 संबंधित मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी
- 4 सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाज को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु
- 5 संबंधित शाला/संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक
- 6 रक्षित पत्रावली।

दिनांक 27/01/2020


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर